



प्रेस नोट

(1) विश्वविद्यालयी कार्यों के प्रति घोर अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यों की उपेक्षा करने तथा परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने के आरोपों के लिए प्रेमपाल सिंह, कनिष्ठ सहायक को निलम्बित कर दिया गया है। उक्त आरोपों के कारण ही सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा प्रदत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दीपक सक्सेना की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं। इन दोनों के खिलाफ पारा थाना में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करा दी गई है।

(2) विश्वविद्यालय के कार्यों में अरुचि लेने, लगातार उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर न करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन न करने व अनुशासनहीनता एवं अन्य दायित्वों के प्रति उदासीनता तथा विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने के आरोपों के कारण डॉ. एके सिंह, उप कुलसचिव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। इनके विरुद्ध आरोपों की जाँच के लिए प्रो. (डॉ.) शेफाली यादव, विभागाध्यक्ष एवं डीन, विधि संकाय को जाँच अधिकारी नामित किया गया है; जो अपनी जाँच रिपोर्ट एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को सौंपेंगी।

(3) विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर न करने व प्रकारान्तर में इसमें निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर न करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना व अनुशासनहीनता एवं उनके द्वारा अन्य दायित्वों के प्रति उदासीनता के आरोपों की जाँच के आदेश दिये गये हैं। इस हेतु प्रो. (डॉ.)शेफाली यादव, विभागाध्यक्ष एवं डीन, विधि संकाय को जाँच अधिकारी नामित किया गया है; जो अपनी जाँच रिपोर्ट एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को सौंपेंगी।

जून 06, 2016

(प्रो. (डॉ.) ए.पी. तिवारी)
मीडिया प्रवक्ता एवं
कुलपति के शैक्षणिक सलाहकार